कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : SHIVIRA-MADHAY/MA-B/22803/SAT/2026-41278-788343दिनांकः यथा हस्ताक्षर

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारीएवं
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा।
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक **(समस्त नवगठित जिले)**
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीएवं
   पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा।

विषयः– जिला/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह–2026हेतु पात्र शिक्षकों से ऑनलाईन आवेदन लिये जाने बाबत।

प्रसंगः– शासन का पत्रांक :प.21(13)शिक्षा–2/राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2026 –40826 जयपुर दिनांक 28.07.2026

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत प्रदत्त निर्देशानुसार **"राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह – 2026** "हेतु गत वर्षो की भांति शिक्षा विभाग में अध्ययन–अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत सुधार एवं प्रोत्साहन तथा पात्र शिक्षकों के चयन में सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों को पुरस्कार चयन में समान अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत इस वर्ष " **जिला एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह–2026"** के आयोजन हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभिन्न स्तरों पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन की योजना :–

क्र. सं.	विवरण	कक्षा वर्ग	शिक्षक सम्मान समारोह का स्तर	
			जिला स्तर	राज्य स्तर
1	सम्मान हेतु निर्धारित शिक्षकों की संख्या	कक्षा 1 से 5	41 (प्रत्येक जिले से एक–एक)	राज्य स्तर पर समेकित मेरिट सूची के अनुसार कुल–22
		कक्षा 6 से 8	41 (प्रत्येक जिले से एक–एक)	राज्य स्तर पर समेकित मेरिट सूची के अनुसार कुल–22
		कक्षा 9 से 12	41 (प्रत्येक जिले से एक–एक)	राज्य स्तर पर समेकित मेरिट सूची के अनुसार कुल–22
2	आवेदन हेतु न्यूनतम शिक्षण अनुभव/सेवा अवधि	–	न्यूनतम पांच वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवा अवधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित।	न्यूनतम पांच वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवा अवधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित।
3	पुरस्कार का स्वरूप	–	11000/– प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र	21000/–प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र
4	आयोजन तिथि	–	5सितंबर 2026 (शिक्षक दिवस के अवसर पर)	5सितंबर 2026 (शिक्षक दिवस के अवसर पर)

2. पुरस्कृत किये जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या:–

- जिला स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =41x 3=123
- राज्य स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =22x 3=66

कुल योग=123+66=189

RajKaj Ref No.: 23894211

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-07 18:16:31 IST

v-1.0

3. समय सारिणीः—

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति / कार्यालय	विवरण	निर्धारित तिथि / समयावधि
1	आवेदन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक के लिये	शाला दर्पण के माध्यम से ऑन—लाईन आवेदन ।	दिनांक : 07.08.2026 से 11.08.2026 मध्यरात्रि तक।
2	संस्था प्रधान / नियंत्रण अधिकारी के लिए	विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक के आवेदन पत्र को डाउनलोड करते हुए प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी एवं वांच्छित दस्तावेजों की पंजिका तैयार कर CBEOकार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित करते हुए हार्ड कॉपी एवं वांच्छित दस्तावेजो की पंजिका तैयार कर संबंधित CBEO कार्यालय में जमा करवाना (तीन प्रतियों में) वाहक स्तर पर ।	दिनांक : 12.08.2026 से दिनांक : 13.08.2026 तक (वाहक स्तर पर)।
3	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय	प्राप्त आवेदनों की जांच तथा साक्ष्यों का विश्लेषण एवं भौतिक सत्यापन।	दिनांक : 14.08.2026 तक।
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से तीन उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन कर प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन प्रस्तावों का CDEO कार्यालय (नवीन जिलों में जिशिअ, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा) को ऑनलाईन अग्रेषण	दिनांक : 17.08.2026 तक
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से अग्रेषित दोनों प्रस्तावों की हार्ड कॉपी मय वांच्छित संलग्नक संबंधित CDEO कार्यालय (नवीन जिलों में जिशिअ, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा) को (दो प्रतियों में) वाहक स्तर पर प्रेषित करेंगें।	दिनांक : 18.08.2026 तक (वाहक स्तर पर)
4	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) कार्यालय	CBEO कार्यालय से कक्षा वर्गवार प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा उपरांत प्रत्येक कक्षा वर्ग से उच्चतम वरीयता वाले तीन प्रस्तावों को ऑनलाईन निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को अग्रेषण	दिनांक : 20.08.2026 तक
		CBEO कार्यालय से कक्षा वर्गवार प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा उपरांत प्रत्येक कक्षा वर्ग से उच्चतम वरीयता वाले तीन प्रस्तावों की हार्डकॉपी मय वांच्छित संलग्नक निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित करना ।(एक प्रति में)	दिनांक : 21.08.2026 को कार्यालय समय में। (वाहक स्तर पर)

4. कक्षा वर्ग का निर्धारणः—

- शिक्षक के कक्षा वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। **(विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण एवं समय—विभाग चक्र की प्रति आवेदन के संलग्न प्रेषित की जायेगी)।**
- संस्था प्रधान स्वयं के द्वारा आवेदन किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा विद्यालय में अध्यापन करवाई जाने वाली बोर्ड कक्षाओं **(विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण एवं समय—विभाग चक्र की प्रति आवेदन के संलग्न प्रेषित की जायेगी)** के आधार पर कक्षा वर्ग निर्धारित करते हुए सूक्ष्म अंक योजना में परीक्षा परिणाम की गणना विद्यालय की कक्षा—5 एवं 8 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ग्रेड तथा कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम का कुल औसत निकाला जाकर की जायेगी।

RajKaj Ref No.:
23894211

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-07
18:16:31 IST

v-1.0

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 6 से 8 के वर्ग तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 9 से 12 के वर्ग में आवेदन किया जायेगा।

5. <u>आवेदन प्रक्रिया</u>:–

- **इस वर्ष भी शिक्षकों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।उक्त पुरस्कार हेतु राज्य के प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षक/संस्था प्रधान आवेदन हेतु निर्धारित अर्हता की पूर्ति के अध्यधीन आवेदन हेतु पात्र होंगे।**
- उक्त आवेदन को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषण करने के साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी निकाली जाएगी, जिसे संबंधित संस्था प्रधान द्वारा CBEO कार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित करते हुए आवेदन पत्र से संबंधित समस्त संलग्नकों/साक्ष्यों सहित तीन प्रतियों में प्रमाणीकरण उपरांत वाहक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जमा करवाया जायेगा।
- **उक्त आवेदन हेतु नव निर्मित मॉड्यूल दिनांकः 07.08.2026 को शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव होगा तथा दिनांक : 11.08.2026 की मध्यरात्रि तक पात्र शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।**
- प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ कॉर्नर पर शिक्षक सम्मान लिंक पर स्वयं के लॉगिन द्वारा पंजीकरण उपरांत आवेदन कर सकेंगे। ऐसे विद्य ालय, जिनकी मेपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं है, में कार्यरत शिक्षक शाला दर्पण पर शिक्षक सम्मान से संबंधित लिंक पर पंजीकरण उपरान्त दिनांक : 11.08.2026 को रात्रि 12:00 बजे तक ऑन–लाईन आवेदन कर सकेंगे।
- संबंधित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ./नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्तानुरूप शाला दर्पण पर अपलोड किये गये उक्त आवेदन को संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 12.08.2026 तक ऑनलाईन अग्रेषित करते हुए हार्ड कॉपी मय समस्त वांछित संलग्नक पंजिका (तीन प्रतियों में) दिनांकः 13.08.2026 तक प्रमाणित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से जमा करवायी जायेगी।

6. **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अग्रेषण :–**

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का आवेदकों द्वारा दिये गये दस्तावेजों के आधार पर भौतिक अवलोकन उपरान्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन पश्चात दिनांक : 17.08.2026 तक मुख्य जिशिअ (नवीन जिलो में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक) को ऑन लाईन अग्रेषित करते हुए प्राप्त आवेदनों में से उपर्युक्त वर्णित तीनों वर्गों से उच्चतम वरीयता वाले तीन आवेदनों का चयन किया जायेगा।
- आवेदनों की वरीयता का निर्धारण संलग्न प्रेषित 100 अंको की सूक्ष्म अंक योजना में प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा तथा उक्तानुरूप अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन शाला दर्पण पर CBEO लॉगिन से की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कक्षा वर्ग में उच्चतम वरीयता के तीन शिक्षकों का चयन अग्रांकित ब्लॉक स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	चयन समिति में दायित्व
1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त समिति ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्राप्त समस्त ऑन–लाईन आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों (आवेदन की प्रमाणीकृत हार्ड कॉपी के साथ संस्था प्रधान द्वारा प्रेषित) के आधार पर मूल्यांकन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना (ग्राउण्ड एसेसमेंट सहित) के आधार पर करने हेतु उत्तरदायी होगी।

- **उक्त समिति से संबंधित सदस्य के पद रिक्त होने की अवस्था में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्राधिकार में पदस्थापित प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी का मनोनयन करने हेतु अधिकृत होंगे।**
- उपर्युक्त समिति प्रत्येक कक्षा वर्ग में से उच्चतम वरीयता के तीन–तीन शिक्षकों का चयन कर उनमें से प्रत्येक वर्ग में प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 17.08.2026 तक ऑनलाईन अग्रेषित करेगी।
- प्रत्येक कक्षा वर्ग से तीन उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन कर प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन प्रस्तावों का चयन किया जाकर सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनों की हार्ड कॉपी मय समस्त वांछित संलग्नक पंजिका (दो प्रतियों में) दिनांक : 18.08.2026 तक प्रमाणित कर संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/नवीन जिलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को ऑनलाईन अग्रेषित करते हुए वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से जमा करवायी जायेगी।

7. <u>मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी /नवीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा द्वारा आवेदनों का अग्रेषण</u>:–

- अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों द्वारा तीनों कक्षा वर्गों से ऑनलाईन अग्रेषित दो–दो शिक्षकों के आवेदन का दिनांकः 18.08.2026 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं नवीन जिलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को प्रेषित किये जावेंगे।
- CBEO कार्यालयों से कक्षा वर्गानुसार प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा उपरांत जिले में प्रत्येक कक्षा वर्ग से उच्चतम वरीयता के तीन–तीन आवेदन दिनांक 20.08.2026 तक ऑनलाईन अग्रेषण निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को किया जावेगा।
- संवीक्षा उपरान्त जिले में प्रत्येक वर्ग से उच्चतम वरीयता के तीन–तीन आवेदन अर्थात कुल 9 प्रस्तावों से संबंधित हार्ड कापी मय दस्तावेज (पत्रावली के रूप में) दिनांक 21.08.2026 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यमिक अनुभाग (मुख्य प्रशासनिक भवन कमरा संख्या 208) में वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जाएगी। संबंधित पत्रावलियां निर्धारित तिथि /निर्धारित स्थान पर ही भिजवाना सुनिश्चित करावें अन्यथा किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिये आप स्वंय व्यक्तिशः रूप से उत्तरदायी रहेंगें।
- अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित आवेदनों की समुचित संवीक्षा एवं राज्य स्तरीय समिति को प्रत्येक कक्षा वर्ग से ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने वाले तीन–तीन आवेदनों के चयन हेतु अग्रांकित विवरणानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है:–

क्र.सं.	**अधिकारी का पदनाम**	**चयन समिति में दायित्व**
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/नवीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक(नवीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक(नवीन जिलों में संबंधित जिले से वरिष्ठतम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)	सदस्य
4	संबंधित जिले में राष्ट्र स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक	सदस्य
5	सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त सदस्यों में से पद रिक्त होने अथवा पात्र सदस्य के अभाव में उसके स्थान पर समिति अध्यक्ष जिला क्षेत्राधिकार में प्राथमिकता के आधार पर किसी प्रधानाचार्य समकक्ष शिक्षाधिकारी का मनोनयन कर सकेंगे।
- **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए समुचित पर्यवेक्षण तथा प्रभावी प्रबोधन एवं अधिकाधिक पात्र शिक्षकों के आवेदन के लिए प्रचार–प्रसार की सुनिश्चितता करेंगे।**

8. <u>राज्य स्तरीय चयन समिति</u>:–

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित 66 शिक्षकों को शासकीय अनुमोदनोपरांत दिनांक : 05 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोज्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

RajKaj Ref No.:
23894211

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-07
18:16:31 IST

v-1.0

9. <u>जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह</u>:—

- नवीन शिक्षक सम्मान योजना के अनुसार आवेदित शिक्षकों में से 378 ब्लॉक स्तर पर (शाला दर्पण पर उपलबध स्थिति अनुसार) श्रेणीवार तीन—तीन शिक्षकों (कक्षा 1 से 5 को पढाने वाले—3, कक्षा 6 से 8 को पढाने वाले—3 तथा कक्षा 9 से 12 को पढाने वाले—3) अर्थात **कुल 3402(3X3X 378)** शिक्षक ब्लॉक स्तर पर चिन्हित/सूचीबद्ध किये जाएंगे।
- ब्लॉक स्तर पर चिन्हित शिक्षकों में से प्रत्येक वर्ग से उच्च वरीयता वाले दो —दो शिक्षकों के नाम जिला स्तर पर अग्रेषित किए जाएंगे। इस प्रकार जिला स्तर पर कुल 2268 (2X3x378) नाम चिन्हित किए जाएंगे। इन 2268 शिक्षकों में से प्रत्येक जिले से प्रत्येक श्रेणी के तीन नाम अर्थात् कुल 369 (3x3x41)नाम राज्य स्तर पर अग्रेषित किए जाने हैं।
- राज्य स्तर पर प्राप्त 369 प्रस्तावों में से प्रत्येक श्रेणी (कक्षा 1-5, 6-8, 9-12) से राज्य स्तर पर समेकित मेरिट अनुसार प्रत्येक कक्षा वर्ग से 22 प्रस्ताव अर्थात् कुल (3x22) 66 प्रस्ताव राज्य स्तरीय सम्मान हेतु चयनित किये जाने हैं, शेष 303(369-66) अचयनित पुनः अपने—अपने जिले में भेजे जाएंगे, जिनका अंकन जिले एवं ब्लॉक स्तर पर पूर्व में ही हो चुका है।
- जिला स्तर पर राज्य स्तर से लौटाए गये (303) तथा पूर्व में अग्रेषित नहीं किये गये (2268-303) यानी कुल 1965 चिन्हित आवेदनों में से उच्च वरीयता वाले तीन आवेदन, प्रत्येक श्रेणी से एक—एक अर्थात कुल 123(3x41) जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु चयनित किये जाएंगे।**उल्लेखनीय है कि गत वर्ष से ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित नही किये जाने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया था। अतः ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित नहीं किया जाना है।**
- **उक्तानुरूप जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षक दिवस 05 सितम्बर 2026 को आयोजित किये जाना हैं। उक्त समारोह के आयोजन पेटे प्रति जिला एक लाख रू की राशि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा पूर्व में प्रदान की जाती रही है।**

10. <u>पात्रता</u> :—

- नियमित कार्यरत शिक्षक/संस्था प्रधान, जिन्हें न्यूनतम पांच वर्ष का विद्यालयी शिक्षण अनुभव **(आधार तिथि— 30 जून, 2026)** है, उक्त पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे।
- आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवें कि उन्हें पूर्व में राज्य/जिला स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया हों। यदि किसी शिक्षक को पूर्व में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है तो वे शिक्षक जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे एवं वे शिक्षक जो कि पूर्व में जिला स्तर पर सम्मानित किये गए है तो वे केवल राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र होंगे अन्य जिले में भी जिला स्तर पर सम्मानित किये जाने हेतु पात्र नहीं होंगें। संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि आवेदन के अग्रेषण से पूर्व उक्त तथ्यों को भली प्रकार जांच **संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/नवीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक द्वारा उक्त आशय का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।**
- संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी आवेदन के अग्रेषण से पूर्व यह भली प्रकार जांच लेवें कि आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही वर्तमान में लंबित/प्रक्रियाधीन नहीं है तथा सेवाभिलेख के अनुसार पूर्व में भी किसी भी प्रकार की दंडात्मक/निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई है तथा आरोप पत्र भी नहीं दिया गया है। उक्त संबंध में संबंधित अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित सक्षम अधिकारी की होगी। संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा विभागीय जांच का परीक्षण शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से आवश्यक रूप से किया जाकर पुष्टि की जावे।

  संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/नवीन जिलों मे जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक आवेदक की पंजिका में संलग्न करना आवश्यक होगा।
- **आवेदनकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच/कार्यवाही वर्तमान में लंबित/प्रकियाधीनहै/नहीं है, के संबध में सूचना विभाग स्तर से जारी आदेश दिनांक 01.05.2024 राजकाज रेफरेंस न0 6804652 के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।**

- **आवेदक द्वारा 25 अंक से कम अंक प्राप्त किये जाने पर जिला एवं राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु विचार किया जाना संभव नहीं होगा।**
- **कार्मिक की एपीएआर संबंधित नियुक्ति अधिकारी की मान्य होगी। समस्त एपीएआर (सत्र 21–22, 22–23, 23–24, 24–25, 25–26 तक कुल 05 वर्षों की) स्वीकारकर्ता अधिकारी स्तर तक पूर्ण रूप से आवेदन पंजिका में संलग्न की जावे।अध्यापक लेवल 1 व 2 समकक्ष की एपीएआर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से, वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष की एपीएआर संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा स्तर से एवं प्रधानाचार्य, उपप्राचार्य, व्याख्याता की एपीएआर निदेशालय स्तर से मान्य होगी। उक्तानुसार ही परीक्षण किया जावे।**

उपर्युक्त निर्देशों का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार–प्रसार हेतु समुचित कार्यवाही सम्पादित करते हुए निर्धारित समयावधि में पात्र शिक्षकों के शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुनिश्चितता करावें। सहज संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की कक्षावर्ग अनुसार वरीयता निर्धारण हेतु 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना (सामान्य शिक्षक/शारीरिक शिक्षक/विशेष शिक्षक हेतु पृथक–पृथक) संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

(ललित कुमार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि.निदेशक, (वरिष्ठ)(समसा)

क्रमांक : SHIVIRA-MADHAY/MA-B/22803/SAT/2025-41278-788343 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री , राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर पर निर्देशित कर अधिकाधिक आवेदन करावे।
8. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण तथा प्रभावी प्रबोधन एवं अधिकाधिक पात्र शिक्षकों के आवेदन के लिए प्रचार–प्रसार की सुनिश्चितता हेतु।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आईटी), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही हेतु ।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
17. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
18. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान–राउमावि/रामावि।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एंव पदेन
अति. राज्य परि.निदेशक, (वरिष्ठ)(समसा)

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-07
18:16:31 IST

RajKaj Ref No.: 23894211

राज्य शिक्षक सम्मान 2026 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना

सामान्य शिक्षक :–

I	**शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)**	**5 अंक**
1.	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
2.	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोटः:–कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी0एड0/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड/शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग–अलग अंक दिये जाने हैं।(**कार्मिक जिस पद पर कार्यरत/नियुक्त है उसी पद की निर्धारित योग्यता को ही आधार माना जावे)**

II	**परीक्षा परिणाम** **कक्षा 9 से 12 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु (गत 5 वर्षो तक 10 वी एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा के औसत परीक्षा परिणाम के आधार पर)**	**60 अंक** **(परिमाणात्मक/गुणात्मक)**
1.	**परिमाणात्मक परीक्षा परिणाम (उत्तीर्ण प्रतिशतता के आधार पर)**	**30 अंक**
(i)	100 प्रतिशत	अंक 06 प्रति वर्ष
(ii)	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 05 प्रति वर्ष
(iii)	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 04 प्रति वर्ष
2.	**गुणात्मक परीक्षा परिणाम (प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के प्रतिशत के आधार पर)**	**30 अंक**
(i)	प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या – 80 प्रतिशत से अधिक	अंक 06 प्रति वर्ष
(ii)	प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या – 60 से अधिक एवं 80 प्रतिशत तक	अंक 05 प्रति वर्ष
(iii)	प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या – 50 से अधिक एवं 60 प्रतिशत तक	अंक 04 प्रति वर्ष

नोटः–

1. 5 वर्षो के अधिकतम क्रेडिट अंक – 60 अंक
   - (i) परिमाणात्मक परीक्षा परिणाम– 6X5=30 अंक
   - (ii) गुणात्मक परीक्षा परिणाम– 6X5=30 अंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23893240
M e-Sign

संस्था प्रधान (प्राचार्य–उमावि) के लिये समस्त बोर्ड परीक्षा परिणाम मान्य होगा तथा अन्य सामान्य शिक्षकों हेतु आवेदित वर्ग से संबंधित बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 एवं 12 के औसत परिणाम के अंक ही मान्य होंगें।

II	**परीक्षा परिणाम** **कक्षा 01 से 08 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु (गत 5 वर्षो के प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा–5/प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा–8 /गत वर्ष के दक्षता आधारित शिक्षण आंकलन परीक्षा परिणाम के आधार पर)**	**60 अंक** **(परिमाणात्मक/गुणात्मक)**
(i)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 12 प्रति वर्ष
(ii)	80 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत तक छात्रों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 10 प्रति वर्ष
(iii)	70 प्रतिशत से अधिक एवं 80 प्रतिशत तक छात्रों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष

1. संस्था प्रधान के लिये विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा तथा अन्य सामान्य शिक्षकों हेतु अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

III	**वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन–गत 5 वर्षो**	**05 अंक**
1.	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
2.	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
3.	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :–

1. वर्षो के अधिकतम क्रेडिट 1X 5= 5है।

2. **द्वितीय श्रेणी से प्राचार्य संवर्ग की** एपीआर 2020–2021 से ऑनलाईन हैं । अतः 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–2025 व 2025–26 (कुल 5 वर्ष) की APAR ऑनलाईन ही मान्य होगी।

3. शेष संवर्ग की APAR 2021–2022 से ऑनलाईन है। अतः 2021–22, 2022–23, 2023–2024, 2024–25 व 2025–2026 की ऑनलाईन मान्य होगीं।

4. विभाग में ऑनलाईन APAR पूर्ण होने पर लोक सेवक की लॉगिन पर प्रिंट का विकल्प दिया गया है। अतः आवेदन के साथ प्रिंट लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

IV	जन सहयोग (गत पॉच वर्षो)	10 अंक
1.	स्वयं आवेदनकर्त्ता के द्वारा विद्यालय हेतु किया गया सहयोग	**अंक 05**
(i)	06 लाख रूपये से अधिक	अंक 05
(ii)	04 लाख रूपये से अधिक एवं 06 लाख रूपये तक	अंक 04
(iii)	02 लाख रूपये से अधिक एवं 04 लाख रूपये तक	अंक 03
(iv)	01 लाख रूपये से अधिक एवं 02 लाख रूपये तक	अंक 02
2.	CSR/भामाशाह/दानदाता से विद्यालय हेतु प्राप्त किया गया सहयोग	**अंक 05**
(i)	20 लाख रूपये से अधिक	अंक 05
(ii)	15 लाख रूपये से अधिक एवं 20 लाख रूपये तक	अंक 04
(iii)	10 लाख रूपये से अधिक एवं 15 लाख रूपये तक	अंक 03
(iv)	05 लाख रूपये से अधिक एवं 10 लाख रूपये तक	अंक 02

<u>नोट :–</u>

(i) **''जनसहयोग यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य अध्यापक द्वारा राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया हो।''**

(ii) **सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से करवाएं गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते है।**

(iii) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन–जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।

(iv) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु किये गये/करवाए गये जनसहयोग यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्य में लगी राशि सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाणित एवं भामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंषा आवश्यक होगी तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य प्रकार की सामग्री यथा–फर्नीचर, दरीफर्श, पुस्तकें इत्यादि का इन्द्राज शाला स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो तथा दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक है और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो, मान्य नही किया जावे।

V	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य (गत पॉच वर्षों में)	05 अंक
1.	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रतिवर्ष
2.	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रतिवर्ष
3.	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रतिवर्ष

RajKaj Ref No.: 23893240
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

4.	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रतिवर्ष

नोट :–जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसी स्तर के आधार पर अंकन किया जावे।

VI	**राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पॉच वर्षो में)**	**05 अंक**
1.	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रतिवर्ष
2.	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रतिवर्ष
3.	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रतिवर्ष
4.	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रतिवर्ष

नोट :–जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है, तो उसी स्तर के आधार पर अंकन किया जाये, बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

VII	**ग्राउन्ड एसेसमेन्ट**	**10 अंक**

शिक्षक का नाम ....पद..
विद्य
ालय...

क्र0सं0	**कार्यक्रम**	**निर्धारित अंक**
1.	गत 5 वर्षों में लगातार विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि तथा ड्राप आऊट विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में जोडने में योगदान	**02**
2.	वंचित विद्यार्थियों के उत्थान/ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	**01**
3.	शिक्षक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति	**01**
4.	कक्षा कक्ष शिक्षण में ई–कन्टेन्ट/आई.सी.टी टूल्स /इनोवेटिव तकनीक का उपयोग	**02**
5.	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	**01**
6.	शिक्षक अभिभावक परिषद/सामुदायिक सहभागिता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका	**01**
7.	शिक्षण कार्य में कहानी/खेल/कला इत्यादि के उपयोग से शिक्षण को रूचिकर बनाना	**01**
8.	इनोवेटिव तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यालय प्रबन्धन, विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मोनेटरिंग इत्यादि में सुधार के द्वारा विद्यालय प्रशासन के सुदृढीकरण में योगदान	**01**
	सर्वयोग	**10**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

<u>राज्य शिक्षक सम्मान 2026 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना</u>

<u>शारीरिक शिक्षक :–</u>

I.	**खेलकूद भागीदारी का रिकार्ड (स्वयं का)**	**05 अंक**
1.	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 5
2.	राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 3
3.	राज्य स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 2

<u>नोटः:–</u> अधिकतम क्रेडिट अंक 05

II.	**वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन–गत 5 वर्षो का**	**05 अंक**
1.	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
2.	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
3.	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोटः:–

1. वर्षो के अधिकतम क्रेडिट 1 X 5= 5है।
2. वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक से उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा0शि0) संवर्ग कीएपीआर 2020–2021 से ऑनलाईन हैं अतः 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 व 2025–26 की APAR ऑनलाईन ही मान्य होगी।
3. शेष संवर्ग की APAR 2021–2022 से ऑनलाईन है। अतः 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25व 2025–26 की ऑनलाईन मान्य होगीं।
4. विभाग में ऑनलाईन APAR पूर्ण होने पर लोक सेवक की लॉगिन पर प्रिंट का विकल्प दिया गया है। अतः आवेदन के साथ प्रिंट लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

III	**जन सहयोग (गत पॉच वर्षो का**	**10 अंक**
1.	**स्वयं आवेदनकर्त्ता के द्वारा विद्यालय हेतु किया गया सहयोग**	**5**
(v)	06 लाख रूपये से अधिक	अंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23893240
M e-Sign

(vi)	04 लाख रूपये से अधिक एवं 06 लाख रूपये तक	अंक 04
(vii)	02 लाख रूपये से अधिक एवं 04 लाख रूपये तक	अंक 03
(viii)	01 लाख रूपये से अधिक एवं 02 लाख रूपये तक	अंक 02
2.	**CSR/भामाशाह/दानदाता से विद्यालय हेतु प्राप्त किया गया सहयोग**	**अंक 05**
(i)	20 लाख रूपये से अधिक	अंक 05
(ii)	15 लाख रूपये से अधिक एवं 20 लाख रूपये तक	अंक 04
(iii)	10 लाख रूपये से अधिक एवं 15 लाख रूपये तक	अंक 03
(iv)	05 लाख रूपये से अधिक एवं 10 लाख रूपये तक	अंक 02

<u>नोट :–</u>

(i) **''जनसहयोग यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य अध्यापक द्वारा राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया हो।''**

(ii) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से करवाएं गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते है।

(iii) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन–जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।

(iv) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु किये गये/करवाए गये जनसहयोग यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्य में लगी राशि सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाणित एवं भामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंषा आवश्यक होगी तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य प्रकार की सामग्री यथा–फर्नीचर, दरीफर्श, पुस्तकें इत्यादि का इन्द्राज शाला स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो तथा दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक है और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो, मान्य नही किया जावे।

III.	**प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/ (गत पॉच वर्षों में)**	**05 अंक**
1.	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रतिवर्ष
2.	राज्य स्तर	[illegible] प्रतिवर्ष
3.	जिला स्तर	अंक 0.[illegible] प्रतिवर्ष

RajKaj Ref No.:
23893240

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

4.	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रतिवर्ष

नोट :–जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसी स्तर के आधार पर अंकन किया जावे।

IV.	**राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पॉच वर्षो में)**	**05 अंक**
1.	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रतिवर्ष
2.	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रतिवर्ष
3.	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रतिवर्ष
4.	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रतिवर्ष

नोट :–जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है, तो उसी स्तर के आधार पर अंकन किया जाये, बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

V.	**खेलकूद गतिविधियों एवं प्रोत्साहन अंक–60 अंक**			
1.	**शारीरिक शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों की खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि (वर्ष 2022–23, 23–24, 24–25 व 25–26 कुल 4 वर्ष)**	**48 अंक**	**शारीरिक शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों की खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि (वर्ष 2021–22)**	**12 अंक**
(i)	राष्ट्रीय स्तर	अंक 12 प्रति वर्ष	राष्ट्रीय स्तर	–
(ii)	राज्य स्तर	अंक 10 प्रति वर्ष	राज्य स्तर	अंक 12 प्रति वर्ष
(iii)	जिला स्तर	अंक 08 प्रति वर्ष	जिला स्तर	अंक 10 प्रति वर्ष

नोट :–

1. 5 वर्षो के अधिकतम क्रेडिट अंक 5X12=60है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23893240

M e-Sign

2. यदि एक विद्यार्थी द्वारा एक ही वर्ष में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किये जाते हैं, तो उच्चतम स्तर पर प्राप्त उपलब्धि/प्रमाण पत्र आदि के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

VII	ग्राउन्ड एसेसमेन्ट	10 अंक

शिक्षक का नाम ....
पद...विद्यालय..

क्र0सं0	कार्यक्रम	निर्धारित अंक
1.	गत 5 वर्षों में लगातार विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि तथा ड्राप आऊट विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में जोडने में योगदान	02
2.	वंचित विद्यार्थियों के उत्थान/ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01
3.	शिक्षक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति	01
4.	कक्षा कक्ष शिक्षण में ई–कन्टेन्ट/आई.सी.टी टूल्स /इनोवेटिव तकनीक का उपयोग	01
5.	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01
6.	शिक्षक अभिभावक परिषद/सामुदायिक सहभागिता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका	01
7.	शिक्षण कार्य में कहानी/खेल/कला इत्यादि के उपयोग से शिक्षण को रूचिकर बनाना	01
8.	इनोवेटिव तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यालय प्रबन्धन, विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मोनेटरिंग इत्यादि में सुधार के द्वारा विद्यालय प्रशासन के सुदृढीकरण में योगदान	01
	सर्वयोग	10

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

राज्य शिक्षक सम्मान 2026 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना

विशेष योग्यजन शिक्षक/ विशेष योग्यजन संबंधित संस्थान में कार्यरत विशेष शिक्षक :–

I	**शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)**	**5 अंक**
1.	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
2.	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोटः:–कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी0एड0/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड/शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग–अलग अंक दिये जाने है।(**कार्मिक जिस पद पर कार्यरत/नियुक्त है उसी पद की निर्धारित योग्यता को ही आधार माना जावे)**

II	**परीक्षा परिणाम कक्षा 9 से 12 में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों हेतु (गत 5 वर्षो के)**	**40 अंक**
1.	**परिमाणात्मक परीक्षा परिणाम (उत्तीर्ण प्रतिशतता के आधार पर)**	**20 अंक**
(i)	100 प्रतिशत	अंक 04 प्रति वर्ष
(ii)	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 03 प्रति वर्ष
(iii)	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 02 प्रति वर्ष
2.	**गुणात्मक परीक्षा परिणाम (प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के प्रतिशत के आधार पर)**	**20 अंक**
(i)	प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या – 80 प्रतिशत से अधिक	अंक 04 प्रति वर्ष
(ii)	प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या – 60 से अधिक एवं 80 प्रतिशत तक	अंक 03 प्रति वर्ष
(iii)	प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या – 50 से अधिक एवं 60 प्रतिशत तक	अंक 02 प्रति वर्ष

नोट :–

1. 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक 40है।
   I. परिमाणात्मक परीक्षा परिणाम– 4X5=20 अंक
   II. गुणात्मक परीक्षा परिणाम– 4X5=20 अंक
2. संस्था प्रधान (प्राचार्य–उमावि) के लिये समस्त बोर्ड परीक्षा परिणाम मान्य होगा तथा अन्य सामान्य शिक्षकों हेतु आवेदित वर्ग से संबंधित बोर्ड परीक्षा परिणाम के अंक ही मान्य होंगें।

II	**परीक्षा परिणाम** **कक्षा 1 से 08 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु (गत 5 वर्षो के प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा–5/प्रारंभिक शिक्षा**	**40 अंक** **(परिमा[illegible] गुणात्मक)**

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

	पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा–8) (	
(i)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष
(ii)	80 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत तक छात्रों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 06 प्रति वर्ष
(iii)	70 प्रतिशत से अधिक एवं 80 प्रतिशत तक छात्रों द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 04 प्रति वर्ष

नोटः–

1. संस्था प्रधान के लिये विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा तथा अन्य सामान्य शिक्षकों हेतु अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं का परीक्षा परिणाम मान्य होगा। **(केवल प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा–5/प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा–8 का परीक्षा परिणाम मान्य होगा)**

III	**वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन–गत 5 वर्षो का**	**05 अंक**
1.	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
2.	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
3.	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोटः–

1. वर्षो के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05है।
2. **द्वितीय श्रेणी से प्राचार्य संवर्ग की** APAR 2020–2021 से ऑनलाईन हैं अत2021–22, 2022–2023, 2023–2024, 2024–25 व 2025–2026 की APAR ऑनलाईन ही मान्य होगी ।
3. शेष संवर्ग की APAR 2021–2022 से ऑनलाईन है। अतः 2021–22, 2022–23, 2023–2024, 2024–25 व 2025–26 की ऑनलाईन मान्य होंगी।
4. विभाग में ऑनलाईनAPAR पूर्ण होने पर लोक सेवक की लॉगिन पर प्रिंट का विकल्प दिया गया है। अतः आवेदन के साथ प्रिंट लगाया जाना सुनिश्चित हो।

IV	**जन सहयोग (गत पॉच वर्षो का)**	**10 अंक**
2.	स्वयं आवेदनकर्त्ता के द्वारा विद्यालय हेतु किया गया सहयोग	**अंक 05**
(i)	06 लाख रूपये से अधिक	अंक 05
(ii)	04 लाख रूपये से अधिक एवं 06 लाख रूपये तक	अंक 04
(iii)	02 लाख रूपये से अधिक एवं 04 लाख रूपये तक	अंक 03
(iv)	01 लाख रूपये से अधिक एवं 02 लाख रूपये तक	अंक 02
2.	CSR/भामाशाह/दानदाता से विद्यालय हेतु प्राप्त किया गया सहयोग	**अंक 05**
(i)	20 लाख रूपये से अधिक	अंक 05

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

(ii)	15 लाख रूपये से अधिक एवं 20 लाख रूपये तक	अंक 04
(iii)	10 लाख रूपये से अधिक एवं 15 लाख रूपये तक	अंक 03
(iv)	05 लाख रूपये से अधिक एवं 10 लाख रूपये तक	अंक 02

नोट :–

(i) **''जनसहयोग यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य अध्यापक द्वारा राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया हो।''**

(ii) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से करवाएं गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते है।

(iii) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन–जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।

(iv) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु किये गये/करवाए गये जनसहयोग यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्य में लगी राशि सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाणित एवं भामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंषा आवश्यक होगी तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य प्रकार की सामग्री यथा–फर्नीचर, दरीफर्श, पुस्तकें इत्यादि का इन्द्राज शाला स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो तथा दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक है और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो, मान्य नही किया जावे।

V	**प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/ (गत पॉच वर्षों में)**	**05 अंक**
1.	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रतिवर्ष
2.	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रतिवर्ष
3.	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रतिवर्ष
4.	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रतिवर्ष

नोट :–जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसी स्तर के आधार पर अंकन किया जावे

VI	**राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पॉच वर्षों में)**	**05 अंक**
1.	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रतिवर्ष
2.	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रतिवर्ष
3.	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रतिवर्ष
4.	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रतिवर्ष

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

<u>नोट :–</u>जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है, तो उसी स्तर के आधार पर अंकन किया जाये, बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

VII	**विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान(गत 5 वर्षो का)**	**20 अंक**
1.	**सामान्य मानदण्ड – निम्नलिखित प्रयास विशेष शिक्षा में योगदान की श्रेणी में आता है :–**	
(i)	विशेष योग्यजन बच्चों के नामांकन में वृद्धि	अंक 1.00 प्रति वर्ष
(ii)	विशेष योग्यजन छात्रों को उपकरण उपलब्ध करवाने में सहयोग	अंक 1.00 प्रति वर्ष
(iii)	विशेष शिक्षा के लिए आयोजित संगोष्ठी/सेमीनार/अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था/अन्य सह–शैक्षिक गतिविधि आयोजन में विशिष्ठ योगदान आदि में भाग लेना	अंक 1.00 प्रति वर्ष
(iv)	विशेष योग्यजन छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह समाज में स्थान दिलाने हेतु प्रचार/प्रसार	अंक 1.00 प्रति वर्ष

<u>नोट :–</u>

1. 5 वर्षो के अधिकतम क्रेडिट अंक 20 है।
2. अध्यपक स्वयं विशेष योग्यजन है एवं विशेष योग्यजन छात्रों को ही पढाते हैं तो उन्हे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जावे।
3. उपरोक्त प्रयासों के समर्थन में किसी भी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र को नियन्त्रण अधिकारी/जिशिअ से प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
4. उपरोक्त प्रयासों के समर्थन में किसी भी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र को नियन्त्रण अधिकारी/जिशिअ से प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. वर्षवार सूचना परिशिष्ट –12 में प्रस्तुत करनी होगी।

VIII	**ग्राउन्ड एसेसमेन्ट**	**10 अंक**

शिक्षक का नाम ....
पद..विद्यालय...

क्र0सं0	**कार्यक्रम**	**निर्धारित अंक**
1.	गत 5 वर्षों में लगातार विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि तथा ड्राप आऊट विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में जोडने में योगदान	**02**
2.	वंचित विद्यार्थियों के उत्थान/ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	**01**
3.	शिक्षक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति	**01**
4.	कक्षा कक्ष शिक्षण में ई–कन्टेन्ट/आई.सी.टी टूल्स /इनोवेटिव [illegible]	**02**

RajKaj Ref No.:
23893240
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

5.	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	**01**
6.	शिक्षक अभिभावक परिषद / सामुदायिक सहभागिता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका	**01**
7.	शिक्षण कार्य में कहानी / खेल / कला इत्यादि के उपयोग से शिक्षण को रूचिकर बनाना	**01**
8.	इनोवेटिव तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यालय प्रबन्धन, विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मोनेटरिंग इत्यादि में सुधार के द्वारा विद्यालय प्रशासन के सुदृढ़ीकरण में योगदान	**01**

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaideep
Designation : Joint Director
Personnel
Date: 2026.08.07 18:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23893240

M e-Sign